

रजिस्टर्ड ए० डी०

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर-305002
ई मेल:- ro.ajmer@ibm.gov.in



Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of Mines.
Makhupura Industrial Area, Ajmer -305002
Ph-145-2695165 / 2695476 Fax--2695202

स: राज- झुझुनु-४७/ लोह अयस्क-१६

दिनांक 3/7/2015

प्रेषित M/S Shri Girdhari Singh,
R/O Mohalla Rajputan, Village Tetra,
Tehsil – Neem Ka Thana, District- Sikar, Rajasthan
विषय: राजस्थान राज्य के Jhunjhunu जिले में स्थित आपकी Papara Kalan Iron Ore खान
४.२० हैक्टे में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 (संशोधित एमसीडीआर 2011) के
नियमों का उल्लंघन (खान कोड संख्या 30RAJ17011)

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 14.06.2015 को उपरोक्त खान के निरीक्षण में पाया गया है कि आपने
खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 संशोधित एमसीडीआर 2011) के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन
किया है।

नियम

उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्योरा

13(1) (i) The proposed no of trees had not been planted in the mine so far.
23(E)(2) The annual compliance report (2014-15) of the work in mine actually carried out vis – a
–vis to the proposals of approved progressive mine closure plan for mineral
conservation & mine rehabilitation required to be submitted up to 1 July 2015 to the
Regional Controller has not been submitted till date.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास
नियमावली, 1988 के नियम 58 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की
सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(एच.सी.शर्मा)
सहायक खान नियंत्रक
कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

मूल पर नहीं / प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

- 1) खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर।
- 2) खनि अभियन्ता, Jhunjhunu को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सहायक खान नियंत्रक
कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो